ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी।

पत्रांक:- 1292 /बेनीपट्टी   दिनांक 07.08.2023

प्रेषक,

ई0 केशव साहनी,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
State MIS
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- नाबार्ड योजना अंतर्गत एकरारनामा विखंडन किये गये पथों का नाम MIS में दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पत्र के सम्बन्ध में कहना है इस कार्य प्रमंडल में नाबार्ड योजना अंतर्गत दो पथों का एकरारनामा विखंडन किया गया था। उक्त दोनों पथों का विखंडोपरांत निविदा निस्तारण के पश्चात नये संवेदक को कार्य आवंटित हुआ है, जिसे MIS की दर्ज करने की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि उक्त दोनों पथों का संलग्न विवरणी के अनुसार MIS में दर्ज करने की कृपा की जाए ताकि नये संवेदक के साथ किये गए एकरारनामा को MIS में दर्ज किया जा सके।

अनु0 – यथोक्त।

विश्वासभाजन

7/8/23

(केशव साहनी)
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी।

Sl No.	Scheme	Division	Assembly	Block	Sanction year	Name of Road/ Bridge	AA latter No. & date	Length (In Km)	AA Main Work Amount (In Lacs)	AA Maintenance Amount (In Lacs)	Contigency Amount	Total Amount (In lacs)
1	NABARD	Benipatti	Harlakhi	Madhwapur	2017-18	Patar to Taraiya (Resciend Work)	Lt. No 8712 Dt. 17.10.2017	2.175	143.79000	8.37000	0.00000	152.16000
2	NABARD	Benipatti	Benipatti	Benipatti	2017-18	REO Path Sahpur to Rampur Tol (Resciend Work)	Lt. No 8712 Dt. 17.10.2017	0.570	40.10500	2.24900	0.00000	42.35400

7/8/23

EXECUTIVE ENGINEER
RWD WORKS DIVISION, BENIPATTI

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी।
कार्यालय आदेश

पत्रांक.............../बेनीपट्टी दिनांक.........................

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी के अधीन **Smt. Anju Singh, Village- Madurapur, Bidupur, Dist.- Vaishali** द्वारा नाबार्ड योजनान्तर्गत **पतार टोला से तरैया पश्चिम** पथ के निर्माण कार्य हेतु एकरारनामा संख्या–**13SBD/2018-19** दिनांक– **02.08.2018** किया गया है।

उपरोक्त आवंटित कार्य के अनुसार एकरारनामा में अंकित कार्य प्रारंभ की तिथि–02.08.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि–01.08.2019 थी, परंतु एकरारनामा अवधि सपाप्ति के 27 माह (सत्ताईस माह) बीत जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया। एकरारनामा के अनुसार समय पर अभीतक कार्य को पूर्ण नहीं करने के कारण संवेदक को इस कार्यालय के पत्रांकः–1936 दिनांकः–12.11.2021 एवं पत्रांकः– 2093 दिनांकः–29.11.2021 द्वारा संवेदक के एकरारनामा पर दिये गये पता पर नोटिस किया गया। पत्र एकरारनामा में अंकित पता पर डाक से भेजा गया लेकिन संवेदक द्वारा पत्र प्राप्त नहीं किया गया। अधोहस्ताक्षरी एवं सहायक अभियंता/कनीय अभियंता से बार–बार फोन पर एवं व्यक्तिगत रूप से कार्य करने हेतु अनुरोध किया गया, लेकिन कार्य प्रारंभ नहीं ही किया गया। संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण करने की दिशा में किसी प्रकार का रूचि नहीं लिया गया। अतः वाध्य होकर कार्य को पूर्ण नहीं करने के कारण SBD के कंडिका 3 एवं 3(a) के अनुसार एकरारनामा संख्या–13SBD/2018-19 को आज दिनांक– 25.03.2022 के अपराह्न से विखंडित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी।

ज्ञापांक....570...... दिनांक...25/03/22

प्रतिलिपिः–संवेदक **Smt. Anju Singh, Village- Madurapur, Bidupur, Dist.- Vaishali** को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी।

ज्ञापांक....570...... दिनांक....25/03/22

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल दरभंगा को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी।

ज्ञापांक.....570..... दिनांक...25/03/22

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी।

ज्ञापांक.....570....... दिनांक....25/03/22

प्रतिलिपिः–सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी।

Scanned with Oken Scanner

मुख्य अभियंता 3,पटना का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक– **II/मु0अ0–3 प0पु0 1–111/23** 2485812 /पटना, दिनांक– 23-5-23

प्रेषक,

मुख्य अभियंता–3 ,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, **बेनीपट्टी**

विषय : शीर्ष **राज्य योजना (नाबार्ड)** अन्तर्गत कार्य प्रमण्डल, **बेनीपट्टी** के अधीन **Patar Tola To Taraiya (Tender-ID-122766)** पथ निर्माण कार्य के निविदा निष्पादन के संबंध में।

महाशय,

शीर्ष **राज्य योजना (नाबार्ड)** अन्तर्गत कार्य प्रमण्डल, **बेनीपट्टी** के अधीन **Patar Tola To Taraiya (Tender-ID-122766)** पथ निर्माण कार्य के निविदा के वित्तीय बीड में समान दर (परिमाण विपत्र की दर से 10.00 प्रतिशत है) होने की स्थिति में बिहार लोक निर्माण के संहिता के कंडिका–163 के आलोक में इस कार्य को लॉटरी के फलाफल के आधार पर सफल निविदाकार **Vijay Shree Project Private Limited** (528264) द्वारा **उद्धत** दर जो कि परिमाण विपत्र की दर से **10.00** प्रतिशत कम है, अर्थात कुल राशि **76,77,188.00 (छिहत्तर लाख सतहत्तर हजार एक सौ अठासी)** रू0 मात्र पर कार्यहित एवं आपकी अनुशंसा के आलोक में यह कार्य आवंटित किया जाता है।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।

3. कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी** संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ अग्रधन के रूप जमा किये गये संबंधित एन0एस0सी0/पासबुक/ बैंक फिक्स डिपोजिट/बैंक गरांटी की सत्यता एवं वैधता आदि का सत्यापन कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित करेंगे एवं कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व अग्रधन की राशि के सत्यापन से संबंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

4. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाय एवं साथ में इसकी भी जॉच कर ली जाय कि संवेदक डीबार सूची से मुक्त है।

5. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।

6. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता अग्रेत्तर कार्रवाई से पूर्व भली भॉति आश्वस्त हो लेंगे कि पथ का हस्तांतरण हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

7. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।

8. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जॉच अपने स्तर से स्वंय कर लेगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करयेगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।

9. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेगें कि इसमें कोई त्रुटि न हो।

10. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेष का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

11 कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित सवेदक से एकारारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत मदवार कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर ही एकरारनामा किया जाय।

12. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अंदर पूरा की जाय।

13. कार्य समाप्ति की अवधि परिमाण विपत्र के अनुसार होगी।

14. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गये सवेदंक से 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाय।

15. इस कार्य का व्यय विभाग द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति में अंकित शीर्ष अन्तर्गत होगा।

16. एकरारनामा के समय प्राक्कलन के अनुसार इस कार्य को पूरा करने हेतु संवेदक से मदवार कार्य योजना एकरारनामा के समय प्राप्त किया जाय तथा उस कार्य योजना की प्रति संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को भी उपलब्ध कराया जाय, ताकि कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता निर्धारित समय के साथ मदवार प्रगति का आकलन कर कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित संवेदक को सूचित प्रत्येक 15 दिनों पर करेंगे। अगर संवेदक द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उक्त मद के मात्रा का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया तो कार्यपालक अभियंता दंडात्मक कार्रवाई संवेदक के विरूद्ध करेंगे। कार्यपालक अभियंता अगर उक्त निदेश का पालन नहीं करते हैं तो वे स्वयं कार्रवाई के पात्र होंगे।

17. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है। आप निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जांचोपरान्त आप आवश्यक निदेशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।

18. एकरारनामा से पहलें निविदाताओं द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर ली जाय।

19. इस निविदा की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।

20. कार्यपालक अभियंता, एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यादेश में अंकित करेगें तथा इस कार्यालय को सूचित करेगें।

21. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश के आलोक में अतिरिक्त वांछित परफॉरमेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेगें।

22. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।

23. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

24. संवेदक से बीड वैधता का प्रमाण लेने के पश्चात ही एकरारनामा करना सुनिश्चित करें।

25. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **बेनीपट्टी** को निदेशित किया जाता है कि विभागीय पत्रांक– मु0अ0–4–(मु0) विविध–23–291/2014–131 पटना दिनांक–13.12.2019 के आलोक में पत्र प्राप्ति के 24 घंटा के भीतर Letter of Acceptance (LOA) संबंधित संवेदक को निर्गत कर इसकी सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

26. संवेदक के चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक–489 अनु0 दिनांक–28.01.2021 को अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनु0–यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

ह0/– 23/5/23

मुख्य अभियंता–3, पटना

ज्ञापांक– ll/मु0अ0–3 प0पु0–1–111/23 2485 /पटना, दिनांक– 23-5-23

प्रतिलिपिः अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/– 23/5/23

मुख्य अभियंता–3, पटना

ज्ञापांक– ll/मु0अ0–3 प0पु0–1–111/23 2485 /पटना, दिनांक– 23-5-23

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, **कार्य अंचल, दरभंगा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/– 23/5/23

मुख्य अभियंता–3, पटना

ज्ञापांक– ll/मु0अ0–3 प0पु0–1–111/23 2485 /पटना, दिनांक– 23-5-23

प्रतिलिपि : सहायक आई0टी0 मैनेजर, मुख्य अभियंता–3 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं ई–मेल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/– 23/5/23

मुख्य अभियंता–3, पटना

S@K

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी।
कार्यालय आदेश

पत्रांक 1886 / बेनीपट्टी दिनांक 1.11.21

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी के अधीन **Sri Vinod Kumar Thakur, House No.-52, Ratanpur, Bhiman, Darbhanga** द्वारा नाबार्ड योजनान्तर्गत **आर0ई0ओ0 पथ शाहपुर से रामपुर टोला** पथ के निर्माण कार्य हेतु एकरारनामा संख्या–**56SBD/2018-19** दिनांक–**10.08.2018** किया गया है।

उपरोक्त आवंटित कार्य के अनुसार एकरारनामा में अंकित कार्य प्रारंभ की तिथि–10.08.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि–09.02.2019 थी, परंतु एकरारनामा अवधि सपाप्ति के 33 माह (तैंतीस माह) बीत जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया। एकरारनामा के अनुसार समय पर अभीतक कार्य को पूर्ण नहीं करने के कारण संवेदक को इस कार्यालय के पत्रांकः– 1068 दिनांकः– 03.06.2020, पत्रांकः– 2413 दिनांकः– 08.12.2020 एवं पत्रांकः– 1849 दिनांकः– 28.10.2021 द्वारा बार–बार स्मारित किया गया कि पथ का कार्य यथाशीघ्र गुणवत्तापूर्ण प्रारंभ कर पूर्ण करें अन्यथा आपके एकरारनामा को बिखंडित कर आपके पंजीयन को कालीसूची में डालने हेतु अनुशंसा कर दिया जाएगा। तदोपरांत संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण करने की दिशा में किसी प्रकार का रूचि नहीं लिया गया। अतः वाध्य होकर कार्य को पूर्ण नहीं करने के कारण SBD के कंडिका 3 एवं 3(a) के अनुसार एकरारनामा संख्या–56SBD/2018-19 को आज दिनांक–01.11.2021 के अपराह्न से विखंडित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

कार्यपालक अभियंता 1.11.21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी।

ज्ञापांक 1886 दिनांक 1.11.21

प्रतिलिपिः–संवेदक **Sri Vinod Kumar Thakur, House No.-52, Ratanpur, Bhiman, Darbhanga** को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता 1.11.21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी।

ज्ञापांक 1886 दिनांक 1.11.21

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना / अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल दरभंगा को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता 1.11.21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी।

ज्ञापांक 1887 दिनांक 1.11.21

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता 1.11.21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी।

ज्ञापांक 1886 दिनांक 1.11.21

प्रतिलिपिः–सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता 1.11.21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी।

Scanned with CamScanner

अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा।
Email Id.-serwddarbhangacircle@gmail.com

पत्रांकः– 1347 दिनांकः– 13/07/2023

प्रेषक,

ई0 रामदेव चौधरी,
अधीक्षण अभियन्ता।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, **बेनीपट्टी।**

विषयः– **NABARD योजनान्तर्गत REO Path Shahpur to Rampur Tola (Tender Id-125137) पथ निर्माण कार्य का निविदा स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये विषयाधीन कार्य के निविदा अभिलेख के आधार पर वित्तीय वीड में सफल योग्य न्यूनतम निविदाकार **M/S Ranjan Construction,(Prop-Abhishek Ranjan) (Bid ID-541623)** को उनके निविदित दर **B.O.Q. दर से 10.00 प्रतिशत कम दर पर** अद्यतन प्रचलित सभी करों सहित **मो0–44,51,945=00 (Fourty Four lakh Fifty One Thousand Nine Hundred and Fourty Five)** रुपया की लागत पर कार्य आवंटित कर स्वीकृत निविदा एवं तुलनात्मक विवरणी मूल में संलग्न कर आगे की कार्रवाई हेतु संलग्न किया जा रहा है।

2. संवेदक से एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा की कार्रवाई नियमानुसार सम्पन्न करेगें। निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वोदाहरण नहीं होगा।
3. कार्यपालक अभियंता संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राषि एवं निविदा के साथ जमा किये गये संबंधित एन0एस0सी0/पासबुक आदि का सत्यापन संबंधित डाकघर से कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित करेगें एवं कार्यादेष निर्गत करने के पूर्व अग्रधन की राषि के सत्यापन से संबंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिष्चित करेगें।
4. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निष्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
5. कार्यपालक अभियंता अग्रेत्तर कार्रवाई से पूर्व भली–भॉति आष्वस्त हो लेंगे के पथ का हस्तांतरण हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है।
6. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जाएगी।
7. इस कार्य के संबंध में निर्गत प्रषासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विषेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
8. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जॉच अपने स्तर से स्वयं कर लेगेंएवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेगें। त्रुटि के सुधारोपरांत ही एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
9. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जॉच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेगें एवं यह सुनिष्चित करेगें कि इसमें कोई त्रुटि न हो।
10. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षोपरांत स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध सें पूरी तरह आश्वस्त हो लेगें एवं प्रषासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें।
11. कार्यादेष निर्गत करने के पूर्व संबंधित संवेदक से एकारारित अवधि के अंदर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत मदवार कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर ही एकरारनामा करना सुनिष्चित करेगें।

Scanned with OKEN Scanner

12. कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों के संदर्भ में नियमानुसार खनन विभाग से सत्यापन कराने के पश्चात् ही भुगतान की कार्रवाई करेगें।
13. कार्यपालक अभियंता विषेष रूप से ध्यान देगें कि कार्य मानक विषिष्टियों के अनुरूप निर्धारित अवधि के अंदर ही पूर्ण किया जाय। संपादित कार्य का गुणवत्ता जॉच प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् ही भुगतान की कार्रवाई की जाय।
14. कार्य समाप्ति अवधि निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार होगी।
15. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गये संवेदक से एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना सुनिष्चित करेगें। अन्यथा उनके अग्रधन की राषि जब्त कर ली जायेगी।
16. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के सातवीं तारीख तक निष्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को समर्पित करेगें।
17. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवष्यक कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है। आप निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जॉचोपरांत आवष्यक निदेषों को अपने स्तर से निर्गत करेगें।
18. एकरारनामा के पूर्व निविदादाताओं द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर लेंगे। साथ ही निदेष दिया जाता है कि संवेदक से वर्क प्रोग्राम तथा उनका कार्यक्षमता कुषलता एवं पूर्व से आवंटित कार्यों की प्रगति से संतुष्ट हो लें। संवेदक का नाम डिबार सूची में नहीं रहने के संदर्भ में अपने स्तर से संतुष्ट हो लेंगे।
19. इस निविदा की राषि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरंत अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दी जाय।
20. कार्यपालक अभियंता एकरारनामा के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यादेष में अंकित करेगें तथा इस कार्यालय को सूचित करेगें।
21. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिषा निर्देषों के आलोक में अतिरिक्त वांछित परफॉरमेंस सिक्यिूरिटी की राषि जमा कराना सुनिष्चित करेगें।
22. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।
23. कार्यपालक अभियंता संवेदक से खाली सीमेंट की बोरी एवं अलकतरा ड्रम की वसूली नियमानुसार सुनिष्चित करेगें।
24. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान सुनिष्चित करेगें।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देगें।

विश्वासभाजन,

13/07/2023

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा।

Scanned with OKEN Scanner